दिनांक: 19 अक्टूबर 2023

स्टार्ट-अप पर एंजेल टैक्स

इस लेख में "दैनिक करंट अफेयर्स " और विषय विवरण "स्टार्ट-अप पर एंजेल टैक्स " शामिल है। यह विषय संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा के अर्थव्यवस्था अनुभाग में प्रासंगिक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

- *एंजेल टैक्स और स्टार्ट-अप के लिए अद्यतन प्रावधान?*
- *केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)?*

मुख्य परीक्षा के लिए:

- *सामान्य अध्ययन-03: अर्थव्यवस्था*
- *वित्त अधिनियम 2023 के तहत एंजेल टैक्स से संबंधित प्रावधान?*

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें अपने अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) से मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के लिए एंजेल टैक्स प्रावधानों की जांच न करें।

पृष्ठभूमि

- इससे पहले, केवल "निवासी निवेशकों" द्वारा किया गया निवेश ही एंजेल टैक्स के अधीन था। 2023 का वित्त अधिनियम, जो 1 अप्रैल, 2023 को प्रभावी हुआ, ने अनिवासी निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स का विस्तार किया।
- इस बदलाव के जवाब में कर विभाग ने अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को एक निर्देश जारी किया। आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(viib) से संबंधित स्थितियों में, निर्देश में अधिकारियों को मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप का सत्यापन नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
- आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (viib) को 2023 के वित्त अधिनियम में संशोधित किया गया है ताकि अनिवासी निवेशकों को एंजेल टैक्स लेवी के तहत शामिल किया जा सके। यह धारा स्टार्ट-अप सहित गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के कराधान के लिए प्रासंगिक है, जब उन्हें अंकित मूल्य से अधिक इक्विटी निवेश प्राप्त होता है।
- इस संशोधन का प्राथमिक लक्ष्य अघोषित या बेहिसाब धन के सृजन को रोकना है।

एंजल टैक्स एवं स्टार्टअप के संबंध में नये प्रावधान:

- सीबीडीटी के निर्देश के अनुसार, डीपीआईआईटी (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) द्वारा अनुमोदित स्टार्टअप को अद्यतन एंजेल टैक्स नियमों के अनुपालन की जांच नहीं करनी होगी।

डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप:

- डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं, जिसमें नवाचार, मापनीयता और रोजगार सृजन से संबंधित कारक शामिल हैं।
- डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता कुछ करों और अनुपालन आवश्यकताओं से राहत सहित विभिन्न लाभ और छूट प्रदान करती है।

स्टार्ट-अप के आकलन–

- कर निर्धारण अधिकारी उन स्टार्टअप्स के लिए अधिनियम की धारा 143(2) या 147/143(2) के तहत कार्यवाही के दौरान इस मामले की पुष्टि नहीं करेंगे जिनकी जांच केवल आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(viib) के लिए की जा रही है।

- इस मुद्दे पर, प्रतिष्ठित स्टार्ट-अप द्वारा किए गए दावों को संक्षेप में स्वीकार किया जाएगा।

बहु-मुद्दे की जांच के दौरान धारा 56 (2) (viib) का बहिष्करण:

- धारा 56(2)(viib) सहित विभिन्न मुद्दों के लिए जिन स्टार्ट-अप कंपनियों की जांच की जा रही है, उनके लिए मूल्यांकन कार्यवाही उन मामलों में इस विशेष खंड पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगी।

वित्त अधिनियम 2023 के तहत एंजेल टैक्स से संबंधित प्रावधान:

- **धारा 56 (2) (viib) का संशोधन:** वित्त अधिनियम 2023 ने 'एंजेल टैक्स' प्रावधानों के दायरे का विस्तार करने के लिए धारा 56 (2) (viib) में संशोधन किया। इस संशोधन में स्टार्ट-अप फंडिंग के कराधान में विदेशी निवेशकों को शामिल किया गया था।
- **मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के लिए छूट:** डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप कंपनियों को एंजेल टैक्स से छूट दी गई थी। इस छूट ने उन्हें एंजेल टैक्स से जुड़ी कर देयता से बचा लिया।
- **निवेशकों के लिए अंतिम मूल्यांकन नियम:** वित्त मंत्रालय ने गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में निवासी और अनिवासी निवेशकों दोनों के लिए लागू अंतिम मूल्यांकन नियम पेश किए। इन नियमों में रियायती नकदी प्रवाह (डीसीएफ) विधि जैसे मूल्यांकन विधियां शामिल थीं।
- **कुछ देशों के निवेशकों के लिए छूट:** 21 देशों के निवेशकों को एंजेल टैक्स छूट दी गई थी। हालांकि, सिंगापुर, नीदरलैंड और मॉरीशस जैसे कुछ देशों को इन छूटों से बाहर रखा गया था।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

कार्य और संगठन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

- केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत कार्यरत एक सांविधिक प्राधिकरण है। बोर्ड के अधिकारी अपनी पदेन क्षमता में मंत्रालय के एक प्रभाग के रूप में भी कार्य करते हैं जो प्रत्यक्ष कर लगाने और संग्रह से संबंधित मामलों से संबंधित है।

सी.बी.डी.टी. की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- केंद्रीय राजस्व बोर्ड, विभाग के शीर्ष निकाय के रूप में, करों के प्रशासन के प्रभारी, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1924 के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया।
- प्रारंभ में बोर्ड प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों का प्रभारी था। हालांकि, जब करों का प्रशासन एक बोर्ड के लिए बहुत अधिक बोझिल हो गया, तो बोर्ड को दो में विभाजित कर दिया गया, अर्थात् केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड 1.1.1964 से प्रभावी। यह विभाजन केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 की धारा 3 के तहत दो बोर्डों के गठन द्वारा लाया गया था।

सीबीडीटी की संरचना और कार्य

- **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक अध्यक्ष और निम्नलिखित छह सदस्य होते हैं: –**

1. अध्यक्ष
2. सदस्य (आयकर और राजस्व)
3. सदस्य (कानून)
4. सदस्य (प्रशासन)
5. सदस्य (जांच)
6. सदस्य (टीपीएस और सिस्टम)
7. सदस्य (लेखा परीक्षा और न्यायिक)

कार्य:

- **नीति निर्माण:** सीबीडीटी प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियां बनाने का प्रभारी है।
- **लेवी और संग्रहण:** यह अनुभाग प्रत्यक्ष कराधान के अधिरोपण और प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है।
- **निगरानी:** आयकर विभाग के सामान्य कार्यों की देखरेख सीबीडीटी द्वारा की जाती है।

नीति प्रस्ताव:

- सीबीडीटी के पास प्रत्यक्ष कर अधिनियमों में विधायी परिवर्तनों का प्रस्ताव करने का अधिकार है।
- यह कर दरों और कराधान की संरचना में संशोधन का भी सुझाव देता है, उन्हें सरकार की नीतियों के साथ संरेखित करता है।

स्टार्ट-अप के लिए एंजेल टैक्स: सीबीडीटी ने जांच नोटिस के बाद क्या स्पष्ट किया है समझाया गया समाचार – द इंडियन एक्सप्रेस

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-01 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सीबीडीटी एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में काम करता है।
2. सीबीडीटी के अध्यक्ष को भारत सरकार के विशेष सचिव के रूप में भी नामित किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

प्रश्न-02. एंजल कर और स्टार्ट-अप के लिए अद्यतन प्रावधानों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है:

1. डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप संशोधित एंजल कर प्रावधानों से संबंधित जांच के अधीन नहीं हैं।
2. डीपीआईआईटी मान्यता मुख्य रूप से एक स्टार्ट-अप की उच्च लाभ उत्पन्न करने की क्षमता पर निर्भर करती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-03. एंजल कर के संबंध में सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) द्वारा हाल ही में शुरू किए गए प्रावधानों और भारत में स्टार्ट-अप पर उनके प्रभाव की चर्चा करें। इन प्रावधानों का उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र पर कराधान के बोझ को कम करना है?

Rajiv Pandey

अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस)

इस लेख में "दैनिक करंट अफेयर्स " और विषय विवरण " अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस)" शामिल है। यह विषय संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा के "अंतर्राष्ट्रीय संबंध" अनुभाग में प्रासंगिक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

- *अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) क्या है?*
- *एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP) क्या है?*

मुख्य परीक्षा के लिए:

- *सामान्य अध्ययन-02 अंतर्राष्ट्रीय संबंध,सामाजिक मुद्दे*

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, भारत सरकार, अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस)के निदेशक केएस जेम्स का निलंबन हटा दिया और उनका इस्तीफा स्वीकार किया।

अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस)

- अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) ईएससीएपी क्षेत्र के लिए जनसंख्या अध्ययन में प्रशिक्षण और अनुसंधान क्षेत्रीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। इसे जुलाई 1956 में मुंबई में स्थापित किया गया था।
- इसकी स्थापना सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। इसे पहले जनसांख्यिकी प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र (डीटीआरसी) कहा जाता था।
- इसका मुख्य उद्देश्य ईएससीएपी क्षेत्र के लिए जनसंख्या अध्ययन में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक क्षेत्रीय संस्थान के रूप में कार्य करना है, जिसमें वैश्विक आबादी का एक बड़ा हिस्सा शामिल है।
- संस्थान ने 1985 में एक बड़े पुनर्ब्रांडिंग का अनुभव किया, जब अकादमिक गतिविधियों के प्रति इसके बढ़ते दायरे और समर्पण को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान कर दिया गया।
- भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत 14 अगस्त, 1985 को इसे 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' का दर्जा दिया गया था।
- आईआईपीएस का प्रशासनिक नियंत्रण स्वास्थ्य और परिवार **कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है**, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में इसके महत्व को दर्शाता है।

ईएससीएपी क्षेत्रीय केंद्र के रूप में आईआईपीएस

- आईआईपीएस सभी क्षेत्रीय जनसंख्या केंद्रों के बीच एक अद्वितीय और अग्रणी स्थिति रखता है। यह स्थापित किया गया पहला ऐसा केंद्र था और जनसंख्या से संबंधित चुनौतियों को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है।
- इसके अलावा, यह अन्य क्षेत्रीय केंद्रों की तुलना में बहुत बड़ी आबादी की सेवा करता है, जनसांख्यिकीय अनुसंधान, शिक्षा और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

आईआईपीएस की रिपोर्ट

- इन वर्षों में, संस्थान ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस), **जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण (डीएलएचएस**), **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम**), यूथ इन इंडिया प्रोजेक्ट **और कई अन्य** सहित विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षणों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- ये सर्वेक्षण आवश्यक जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य डेटा एकत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे भारत में साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने और नीति निर्माण को सक्षम किया जा सकता है।

एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP) के बारे में

- एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी), या ईएससीएपी, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक **परिषद (ईसीओएसओसी) के अधिकार क्षेत्र के तहत पांच क्षेत्रीय आयोगों में से एक है**।
- 28 मार्च 1947 को एशिया और सुदूर पूर्व (ECAFE) के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के रूप में स्थापित, इसे 1 अगस्त 1974 को ESCAP का नाम दिया गया था।
- ईएससीएपी 53 सदस्य राज्यों और 9 सहयोगी सदस्यों के साथ सबसे बड़ा क्षेत्रीय अंतर-सरकारी मंच है, **जो 4.1 बिलियन लोगों या दुनिया की दो-तिहाई आबादी वाले क्षेत्र को कवर करता है।**
- ईएससीएपी का मिशन समावेशी और सतत विकास के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।
- यह आर्थिक नीति, व्यापार, परिवहन, सामाजिक विकास, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, सांख्यिकी, उप-क्षेत्रीय विकास और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के माध्यम से विभिन्न चुनौतियों का समाधान करता है।
- विशेष रूप से, **ईएससीएपी की सदस्यता में एशिया और प्रशांत, फ्रांस, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के देश शामिल हैं।**

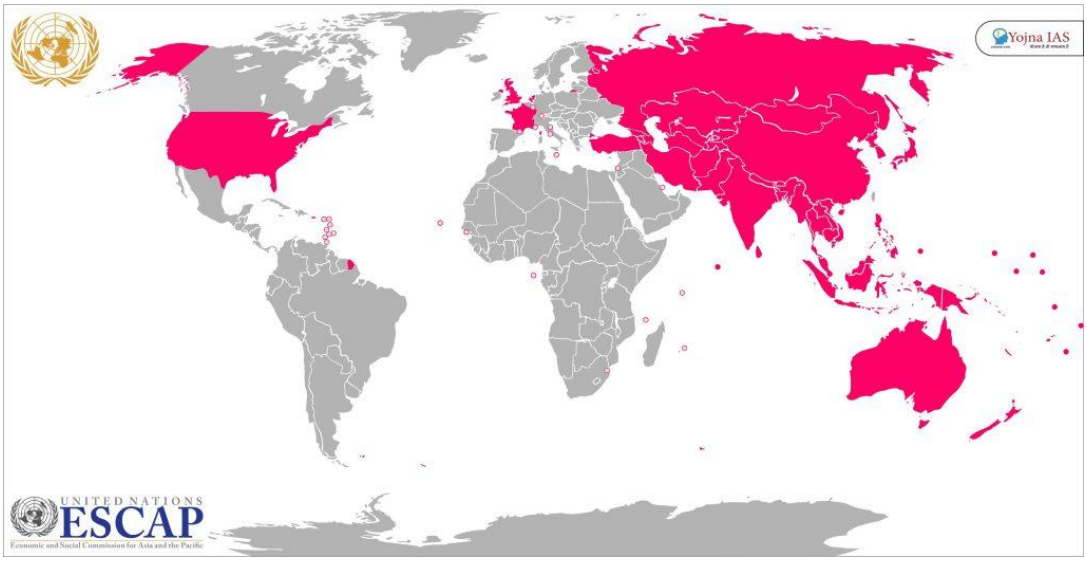

केंद्र ने आईआईपीएस निदेशक के इस्तीफे के दो महीने बाद उनका निलंबन रद्द किया

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-01. निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) द्वारा/के सहयोग से प्रकाशित की जाती है?

1. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)
2. जिला स्तरीय परिवार सर्वेक्षण (डीएलएचएस)
3. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएफएलएस)

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कोड का चयन करें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (A)

प्रश्न-02. एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के क्षेत्रीय निकायों में से एक है।
2. ईएससीएपी वैश्विक आबादी के दो-तिहाई से अधिक को कवर करता है।
3. इसमें फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड जैसे देशों की सदस्यता शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी
(d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर: (ख)

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-03 अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) ईएससीएपी क्षेत्र के लिए जनसंख्या अध्ययन में प्रशिक्षण और अनुसंधान क्षेत्रीय संस्थान के रूप में कार्य करता है चर्चा कीजिए?

Rajiv Pandey

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है